न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :- 24/2022

उनवान

छीतर सिंह पुत्र धीसा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम चैनपुरा, नसीराबाद अजमेर।

--- प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

-- अप्रार्थी :- जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :- दिनांक :- 1.4.24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा तहसील, नसीराबाद, अजमेर के हाल खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.19 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.06 के पूर्व सेपश्चिम व 1883 रकबा 0.12 के पूर्व से उत्तर दिशा की भूमि का उपयोग करता है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त मार्ग का अंकन नही है। खसरा नम्बर 1883 व 1885 सिवायचक भूमि है। उक्त भूमि पर से मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके व रेकार्ड पर नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.19 व अन्य आराजी प्रार्थी की खातेदारी [illegible] 1883 रकबा 0.12 किस्म बीड व खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.06 किस्म गै0मु0 [illegible] सिवायचक दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार खसरा [illegible] 1882 [illegible] 1886 रकबा 0.06 गै0मु0 रास्ता व 1883 रकबा 0.12 किस्म बीड में से होकर [illegible] हो रहा है। खसरा [illegible] 183 व 1885 सिवायचक खाते में दर्ज है। खसरा नम्बर 188[illegible] में से 0.0055 (वर्ग मी[illegible]) ली जानी है। उक्त रास्ता 5 मीटर चौडा व एक भुजा 10 [illegible]र तथा दुसरी भुजा 12 [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:42 IST
Reason: SelfAttested

---2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चाहे गये मार्ग से किसी खातेदार से जमीन नही ली जानी है। खसरा नम्बर 1883 की डी0एल0सी0 रेट 552232 रूपये प्रति हैक्टयर है। 55 वर्ग मीटर भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि 3040 रूपये होती है। खसरा नम्बर 1885 पर लोहे का गेट लगा हुआ है जो खुला है। रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग रिकार्ड व मौके पर उपलब्ध होना तहसीलदार नसीराबाद द्वारा नही बताया गया है। प्रार्थी को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र का काई खण्डन पेश नही हुआ है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को 5 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावति किया गया है। मार्ग हेतु भूमि सिवायचक भूमि में से ही ली जानी है। किसी खातेदार की भूमि नही ली जानी है। तहसीलदार नसीरीबाद द्वारा रास्ता दियें जाने की अनुशषां की है। **धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी काश्तकार के पास अपने खातेदारी खेतो में जाने हेतु काई मार्ग विधमान या उपलब्ध नही है तो वह अन्य काश्तकार/सिवायचक भूमि में से अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त कर सकता है।** प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिर्पोट अनुसार प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम चैनुपरा प0म0 राजगढ तहसील नसीराबाद, अजमेर के हाल खसरा नम्बर 1883 रकबा 0.12 में से (5 मीटर चौडा) 55 वर्ग मीटर भूमि रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता 5 मीटर चौडा व एक भुजा 10 मीटर तथा दुसरी भुजा 12 मीटर है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के एवज में 6080/ अक्षरे छः हजार अस्सी रूपये का भुगतान राजकोष में जमा होने के बाद रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:42 IST
Reason: SelfAttested